अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–241 / 16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04 / स0भू0 (दिशा निदेश)–95 / 2016, 2074 / रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के सर्सूचित आदेश ज्ञापांक 479 / रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम / खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा–लखीपुर थाना संख्या'–274 खाता संख्या–153 कुल रकवा–02 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में है एवं मौजा–लखीपुर के राजस्व पंजी–II में आईतुन बीबी, पति–कुर्बान सेख के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है।**

इस कार्यालय के पत्रांक 743 / रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में कोई भी वैध राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है।

अतः मौजा–लखीपुर थाना संख्या'–274 खाता संख्या–153 कुल रकवा–2 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना का विपक्षी सह पंजी–II रैयत आईतुन बीबी ग्राम–लखीपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पजी–II मे कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उपसमहर्ता, पाकुड़ को भेजे।

अंचल अधिकारी
महेशपुर

अंचल अधिकारी
महेशपुर

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.08.05 20:39:27 +05:30
Location: 192.168.0.106